

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 437 / 2016)
 (संस्थित दिनांक :- 25 / 07 / 2016)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ
 जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. किशनलाल बाथम पुत्र रामदयाल बाथम उम्र 45 वर्ष।
 02. छोटू बाथम पुत्र किशनलाल बाथम उम्र 20 वर्ष।
- निवासीगण :- द्वारिकापुरी मौ, थाना :- मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 03 / 04 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्तगण किशनलाल एवं छोटू पर भा.द.सं. की धारा 294, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 23/05/2015 को सुबह लगभग 05:30 बजे फरियादी रामबक्स का खेत कुआँ के पास, जो लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, फरियादी रामबक्स को मौ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामबक्स की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त किशनलाल ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी रामबक्स की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी रामबक्स को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23/05/2015 को सुबह लगभग 05:30 बजे फरियादी रामबक्स का खेत कुआँ के पास, आरोपीगण किशनलाल, छोटू एवं अवस्यक आरोपी नीरज द्वारा फरियादी से गाली-गलौच करने, उसकी धारदार आयुध कुल्हाड़ी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामबक्स द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 132/15 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट

लेखबद्ध की गई। आहत रामबक्स के मेडीकल परीक्षण में धारदार आयुध से चोट होने का उल्लेख होने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध धारा 324 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। आरोपी किशनलाल से एक कुल्हाड़ी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी रामबक्स, साक्षीगण अशोक, श्रीमती शान्ति देवी एवं माखन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण किशनलाल एवं छोटू के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण किशनलाल एवं छोटू के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी किशनलाल ने दिनांक :- 23/05/2015 को सुबह लगभग 05:30 बजे फरियादी रामबक्स का खेत कुआँ के पास, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामबक्स की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त किशनलाल ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी रामबक्स की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी रामबक्स अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण किशनलाल, नीरज एवं छोटू को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि उसके भाई किशनलाल से उसका बंटवारे के उपर मुँहवाद हो गया था, जिस पर से आरोपीगण ने उसकी लात-घूसों से मारपीट कर दी थी। जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामबक्स अ.सा.01 ने आरोपी किशनलाल द्वारा दिनांक :- 23/05/2015 को सुबह लगभग 05:30 बजे धारदार आयुध कुल्हाड़ी से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी रामबक्स अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

07. आरोपीगण एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामबक्स अ.सा.01 के न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी किशनलाल ने दिनांक :- 23/05/2015 को सुबह लगभग 05:30 बजे फरियादी रामबक्स का खेत कुओं के पास, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी रामबक्स की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त किशनलाल ने धारदार आयुध कुल्हाड़ी से फरियादी रामबक्स की मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियों कारित की।

09. अभियोजन आरोपीगण किशनलाल एवं छोटू के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

10. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

11. प्रकरण में आरोपी किशनलाल से जब्तशुदा धारदार कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद